

पत्र संख्या-विधि-1(3)ईट भट्टा समा0यो0(2015-16) 2315 / 1516059 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2015-16 में दिनांक 01-10-2015 से 30-09-2016 तक की अवधि के लिए एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बंधित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बंध में शासन के पत्र संख्या-1843/ग्यारह-2-2015-9(32)/09 दिनांक 02-12-2015 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0-विधि-1(3) ईट भट्टा समा0यो0(2015-16)/1999/1516050/वाणिज्य कर, दिनांक 02-12-2015 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

2- शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 02-12-2015 में दिये गये निर्देशों के बिन्दु-4 एवं 5 में यह उल्लेख किया गया था कि-

बिन्दु संख्या-4 सीजन वर्ष 2015-16 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 25 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना-पत्र व्यापारी द्वारा दिनांक 20-12-2015 तक प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान राशि का क्रमशः 25 प्रतिशत भाग दिनांक 20 जनवरी 2016 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 फरवरी 2016 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च 2016 तक, एवं 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 अप्रैल 2016 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

बिन्दु संख्या-5 उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् यदि 30 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिए अधिकतम 60 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार, इस अवधि के लिए देय समाधान राशि, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित जमा करने पर कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को होगा।

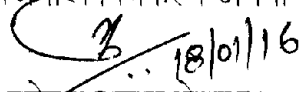
3- टैक्स बार एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10-12-2015 द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ईट भट्टा समाधान योजना सीजन वर्ष 2015-16 उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत समाधान योजना का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2015 तक प्राप्त कराना है तथा समाधान शुल्क को ब्याज सहित प्रार्थना पत्र उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त 30 दिन के अन्दर प्राप्त करना है। ईट भट्टा समाधान योजना का प्रचार / प्रसार व्यापक रूप से नहीं हो पा रहा है तथा अल्प अवधि में व्यापारियों द्वारा समाधान योजना में आना असम्भव प्रतीत हो रहा है तथा समाधान शुल्क की

अल्प अवधि में व्यवस्था कर पाना भी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कई ईट निर्माता समितियों द्वारा भी आवेदन की तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में ईट भट्टा निर्माता समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि पर्यावरण से अनापत्ति प्राप्त करने वाले एवं अन्य प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं का अनुपालन न हो पाने के कारण सीजन वर्ष 2015-16 में अभी तक अधिकांश भट्टों में उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। जोन स्तर से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भी अभी तक अधिकांश भट्टों में उत्पादन आरम्भ न हो पाने के कारण काफी कम व्यापारियों द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4- मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त प्रत्यावेदनों एवं उल्लिखित परिस्थितियों पर विचार किया गया। समाधान प्रार्थना-पत्र का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि 20-12-2015 एवं विलम्ब से ब्याज सहित जमा करने की अवधि (30 दिन) दिनांक 19-01-2016 को समाप्त हो रही है। अतः राजस्व हित में एवं अधिक से अधिक ईट भट्टों द्वारा समाधान योजना में आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित कराने हेतु समाधान प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अवधि दिनांक 19-01-2016 के उपरान्त दिनांक 29-02-2016 तक बढ़ाई जाती है। विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि 20-12-2015 के उपरान्त उपरोक्तानुसार बढ़ाई गयी अवधि तक के लिए किश्त हेतु निर्धारित तिथि के दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक ईट भट्टे समाधान योजना का विकल्प अपना सकें।


(मुकेश कुमार मिश्रा)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

पृ०५०सं० एवं दिनांक उक्त।

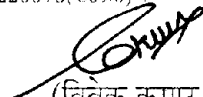
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (कॉनि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोकुली नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट II, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

इलाहाबाद।

- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य0/गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद ।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, संगीत टाकिल्स वे: पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कच्छल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कच्छल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुल सफा लखनऊ ।
- (29) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स , 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (33) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (36) प्रदेश प्रमुख वन्धु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, मुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (41) प्रो0 श्रीमती रजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 टूक आपरेटर्स , फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर ।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी , इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0जा0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश , 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड बैंगरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पँजी) बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

- (59) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० वी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैमा ब्यार्यालय इमलीवला मोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 अशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री वी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, दूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियामंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री अलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति(रजि०) ईटा भवन, 87/15, रिसालदार पार्क, लालकुआँ, लखनऊ-226018(उ०प्र०) ।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश ।